

उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
लखनऊ: दिनांक जनवरी 2024

विज्ञप्ति

अयोध्या में दिनांक 22-01-2024 को राम जन्म भूमि परिसर में बने मंदिर में प्रभु श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन सुनिश्चित हुआ है।

2. उक्त के दृष्टिगत निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट 1881 के अधीन दिनांक 22-01-2024 को उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

(जितेन्द्र कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-: (1)/तीन-2024-39(2)/2016 तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- रजिस्टार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ को सूचनार्थ एवं ऐसी कार्यवाही हेतु प्रेषित जिसे मा0 उच्च न्यायालय आवश्यक समझे।
- 6- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 7- समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- 9- सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्यों का विभाग, नई दिल्ली।
- 10- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 11- प्रबन्धक एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति-बैंक आफ बडौदा, आंचलिक कार्यालय, 45, भारतीय जीवन बीमा निगम बिल्डिंग, हजरतगंज, लखनऊ।
- 12- क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर-208001।
- 13- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस विज्ञप्ति का आवश्यक प्रसार एवं प्रचार कराने हेतु।
- 14- महाप्रबन्धक, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, गोमती नगर, लखनऊ।
- 15- तकनीकी निदेशक नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर (उत्तर प्रदेश राज्य इकाई) योजना भवन लखनऊ को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर डालने हेतु।

आज्ञा से

(जुहैर बिन सगीर)
विशेष सचिव